निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 164/2024
दायरा दिनांकः— 21.11.2024
निर्णय दिनांकः—

उनवान

1. हुकमचन्द आयु 68 वर्ष पुत्र किशनलाल जाति जाटव निवासी ग्राम महेशपुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. राधेश्याम आयु 50 वर्ष पुत्र शंकरलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम चांचोडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा जिला बारा (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91ए आर0टी0एक्ट0 एवं
धारा 136 एलआर एक्ट

निर्णय दिनांकः—

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री कमल सिंह आशावत — वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91ए आर.टी. एक्ट एवं धारा 136 एलआर0एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि खाता संख्या 249 खसरा नम्बर 38 रकबा 1.8843 है0 खसरा नम्बर 46 रकबा 1.5176 है0 लि खसरे 2 कुल भूमि 3.4019 है0 भूमि वाके माल हनुवतखेडा पटवार हल्का चांचोडा तहसील छबडा में वादी क्रम 1 का हिस्सा 1/3 एवं वादी क्रम 2 का हिस्सा 2/3 राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है जिसकों आगे वाद पत्र में वा ग्रस्त सम्पत्ति के नाम से संबोधित किया जायेगा। वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि में खातेदार के रूप में वादीगण का नाम दर्ज है लेकिन साथ में रिज्यूमशन राजस्व रिकार्ड में वर्तमान में दर्ज जमाबन्दी हो रहा है। सम्वत् 2012 से 2013 में वाद ग्रस्त भूमि में खातेदार भूरा पुत्र फुन्दीलाल जाटव के साथ माफी साहजादा साहब अब्दुल नवाब टोंक का नाम दर्ज था जिसको आगे सम्वत् 2013 से 2020 तक खातेदार के साथ जागीरदारी उप जागीरदारी माल गुजार बिस्वेदार जमीदार अब्दुल मुसबिर खां के नाम दर्ज कर दिया गया। सम्वत् 2019 से 2032 में राजस्व कमचारियों ने वाद ग्रस्त भूमि मे सहवन से रिज्यूमशन दर्ज कर दिया। सम्वत् 2045 से 2056 तक मे वाद ग्रस्त भूमि मे रिज्यूमशन दर्ज नही था सम्वत् 2033 से 2037 में खातेदार भूरा पुत्र फुन्दीलाल का नामान्तरण खुला और वाद ग्रस्त भूमि उसके वारिसान के खातेदारी में दर्ज हो गई। वारिसान किशनलाल व बाबू ने अपना हिस्सा वादी क्रम 2 के नाम बेचान कर दिया है एवं वादी क्रम 1 आज

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

भी वाद ग्रस्त भूमि का खातेदार मालिक है। रू वाद ग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण खातेदारान के नाम के साथ रिज्यूमेशन दर्ज होने से वादीगण उक्त भूमि को किसी भी प्रकार से उन्नत नहीं कर पा रहे है। तथा राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पा रहे है। जिससे वादीगण को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वाद ग्रस्त भूमि में वर्णित भूमियात के राजस्व रिकार्ड में पुर्व से रिज्यूमेशन शब्द दर्ज नही था। लेकिन बाद में तहसील कर्मचारियो द्वारा रिज्यूमेशन शब्द दर्ज करा दिया गया। वादीगण अपने नाम के साथ राजस्व रिकार्ड में अंकित रिज्यूमेशन शब्द को हटवाने का कानूनन अधिकारी है। राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के प्रावधानों के अन्तर्गत माफी भूमियो/ जमीनों पर कानूनन खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा चुके है। इस कारण अब राजस्व रिकार्ड मे माफियात / रिज्यूमेशन/रिज्यूम एक अनावश्यक अकंन है। राजस्व रिकार्ड में पहले माफियात का अकन होता था। इस एक्ट के प्रावधान लागू होने पर माफियात रिज्यूम हो गई तो माफियात रिज्यूमेशन / रिज्यूम के नोट लगा दिये गये थे जिन्हे राजस्व रिकार्ड जमाबंदी आदि में हटाया जाना आवश्यक वाद कारण दिनांक 15/10/2024 को पेदा हुआ जब वादीगण ने प्रतिवादी के यहा रिज्यूमेशन शब्द हटवाने बाबत निवेदन किया तो उन्होने श्रीमान न्यायालय में वाद पेश करने की हिदायत दी। और रिज्यूमेशन हटाने से मना कर दिया अतः यही दिनाक बिनाय दावा कायम की जाती है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 249 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 153 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत 2066–69 खाता संख्या 154 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत 2062–65 खाता संख्या 150 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत 2058–61 खाता संख्या 66 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत 2054–57 खाता संख्या 203 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत 2050–53 खाता संख्या 200 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत 2046–49 खाता संख्या 186 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत 2042–45 खाता संख्या 190 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा खाता संख्या 183 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत 2029–32 खाता संख्या 119 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत 2033–36 खाता संख्या 115 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत 2025–28 खाता संख्या 118 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत 2021–24 खाता संख्या 115 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत 2017–2020 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत 2013–16 खाता संख्या 100 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत 2012 खाता संख्या 100 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम हनुवतखेडा नकल नक्शा ट्रेस ग्राम हनुवतखेडा फोटो प्रति आधार कार्ड हुकमचन्द आधार कार्ड राधेश्याम पेश किया गया।

बहस अभिभाषक वादीगण सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम हनुवतखेडा तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें वादी क्रम 1 का 1/3 एवं वादी क्रम 2 का 2/3 हिस्सा दर्ज है वादीगण खातेदार कृषक है परन्तु खातेदार के साथ में रिज्यूमशन दर्ज हो रहा है उक्त भूमि सम्वत् 2021 से 2013 में खातेदार भूरा पुत्र फुन्दीलाल जाति जाटव के साथ माफी साहजादा साहब अब्दुल नवाब टोंक का नाम दर्ज था सम्वत् 2013–20 में खातेदार के साथ जागीरदारी, उप जागीरदारी माल गुजार बिस्वेदार जमीदार अब्दुल मुसबिर खां के नाम दर्ज कर दिया। सम्वत् 2019–32 में

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

सहवन से रिज्यूमशन दर्ज हो गया। सम्वत् 2045–56 तक विवादित भूमि में खातेदार के साथ रिज्यूमशन दर्ज नही था। बाद में फिर खातेदार के साथ रिज्यूमशन दर्ज कर दिया। सम्वत् 2033 से 2037 में खातेदार भूरा पुत्र फुन्दीलाल का नामान्तरण दर्ज हुआ बाद में वारिसान के खातेदारी में दर्ज हो गई। वारिसान किशनलाल व बाबू ने अपना हिस्सा वादी क्रम 2 को बेचान कर दिया वादी 1/3 हिस्सा का खातेदार है वादीगण सहखातेदार के नाम के साथ रिज्यूमशन दर्ज होने से वादीगण उक्त भूमि को किसी प्रकार से उन्नत नही कर पा रहे है तथा राज्य सरकार से मिलने वाले सभी लाभों से वंचित होना पड रहा है भूमि रिज्यूमशन दर्ज होने के कारण वादीगण को परेशानियों का सामना करना पड रहा है वादीगण अभिभाषक ने जागीरदारी एक्ट की धारा 9 एवं आर0टी0एक्ट की धारा 15 का उद्रण करतें हुए निवेदन किया कि वादीगण विधिक खातेदार कृषक है वादी के खाते से रिज्यूमशन हटाया जाना अति आवश्यक है वादी का वाद स्वीकार किया जावें।

तहसीलदार छबडा से इसके सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि वादी ग्राम हनुवतखेडा में खाता संख्या 249 खसरा नम्बर 38 रकबा 1.8843 है0 खसरा नम्बर 46 रकबा 1.5176 है0 वादी के साथ माफीयात रिज्यूमशन भूमि में दर्ज है जिसमें वादी हुकमचन्द का हिस्सा 1/3 राधेश्याम का हिस्सा 2/3 दर्ज है उक्त भूमि में सेटलेमेन्ट जमाबन्दी सम्वत् 2012 में माफी सहजादा साहब आत्मज नवाब साकिन टोंक कृषक विवरण में भूरा वल्द फुन्दी कोम चमार साकिन महेशपुरा दर्ज था। सम्वत् 2013–20 को जमाबन्दी में भूरा वल्द फुन्दी कोम चमार सा0देह महेशपुरा खसरा नम्बर 38 रकबा 7.09 बीघा खसरा नम्बर 46 रकबा 6 बीघा में श्री अब्दुल मुसाबिर साकिन सा0 मजकुर दर्ज था। सम्वत् 2021–24 की जमाबन्दी में खसरा नम्बर 38 रकबा 7.09 बीघा खसरा नम्बर 46 रकबा 6 बीघा कृषक विवरण में भूरा पुत्र फुन्दीलाल चमार सा0देह महेशपुरा दर्ज था। जमाबन्दी समवत् 2025–2028 में भूरा पुत्र फुन्दीलाल जाति जाटव सा0देह महेशपुरा के आगे सरकार रिज्यूम दर्ज हो गया। जमाबन्दी सम्वत् 2029–32 में भूरा पुत्र फुन्दीलाल जाटव के साथ रिज्यूम दर्ज नही था। इसी प्रकार सम्वत् 2029–32 से सम्वत् 2054–57 की जमाबन्दी तक खाते में रिज्यूमशन दर्ज नही था। जमाबन्दी सम्वत् 2058–61 में खसरा नम्बर 38 रकबा 7.09 बीघा खसरा नम्बर 46 रकबा 6 बीघा में रिज्यूमषन शब्द दर्ज हुआ सम्वत् 2058–61 में दर्ज किया गया रिज्यूमश्न शब्द खाते मं वर्तमान जमाबन्दी में सम्वत् 2074–77 तक दर्ज चला आ रहा है वर्तमान में वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है वर्तमान में रिज्यूमशन शब्द दर्ज होने के कारण वादी उक्त खाते पर विक्रय पत्र व अन्य कोई नामान्तरण न्यायालय आदेश को छोडकर दर्ज नही किया जा सकता है।

बहस अभिभाषक वादीगण सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 ग्राम हनुवतखेडा खाता संख्या 249 में वादीगण खातेदार के साथ माफीयात रिज्यूमशन दर्ज है वादी हुकमचन्दका हिस्सा 1/3 एवं वादी राधेश्याम का हिस्स 2/3 दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2070–73 सम्वत् 2066–69 सम्वत् 2062–65 एवं सम्वत् 2058–51 में खातेदार बाबू, हुकमचन्द, कन्हैयालाल पुत्र किशनलाल जाति जाटव के साथ रिज्यूमशन दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2054–57 सम्वत् 2050–53 सम्वत् 2046–49 सम्वत् 2042–65 सम्वत् 2038–41 सम्वत् 2033–37 की जमाबन्दी में खातेदारान के साथ रिज्यूमशन दर्ज नही था। सम्वत् 2013–20 से सम्वत् 2029–32 तक खातेदारान के नाम के साथ रिज्यूमषन दर्ज था। इससे यह साबित होता है कि खातेदारान के नाम के साथ सम्वत् 2013–2020 से सम्वत् 2029–32 तक

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

रिज्यूमशन दर्ज था बाद में सम्वत् 2033–36 से सम्वत् 2054–57 में रिज्यूमशन दर्ज नही था सम्वत् 2058–61 वर्तमान तक रिज्यूमशन दर्ज चला आ रहा खातेदारान के नाम के साथ रिज्यूमशन पहले दर्ज था बाद में हटा दिया गया वर्तमान में फिर दर्ज कर दिया जिससे काश्तकारों को परेशनियों का सामना करना पड रहा है। वर्तमान में नामान्तरण प्रक्रिया ऑनलाईन होने के कारण नामान्तरण खोलने की समास्या आ रही है एवं रिकार्ड दुरूस्त नही हो पा रहा है।

इस वाद को निर्णित करने हेतु यहां जागीरदारी एक्ट की धारा 9 एवं आ0टी0एक्ट की धारा 15 विचारणीय है :–

जागीरदारी एक्ट की धारा–9 :– "जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो अधिनियम के प्रारम्भ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार,पट्टेदार,खादिमदार के रूप में या की अन्य रूप में जिसमें यहां अन्तहित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवंशिक और पूर्ण अन्त के अधिकार प्राप्त है,दर्ज है। ऐसे अधिकार प्राप्त रहेगें और वह ऐसी भूमि के सम्बन्ध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा "

आ0टी0एक्ट की धारा–15 :– प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय भूमि के शिकमी आसामी या खुदकाश्त के आसामी के अलावा अन्य प्रकार का आसामी हो या जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् शिकमी आसामी या खुदकाश्त के आसामी या राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 101 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन तथा उनके अनुसरण में भूमि का आवंटिती के अतिरिक्त आसामी की हैसियत से प्रविष्ट कर लिया जाय अथवा जो इस अधिनियम के या राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड रिज्युमशन ऑफ जागीर्स एक्ट 1952 (राज. एक्ट 6, सन् 1952) के अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के उपबन्धों के अनुसरण में भूमि खातेदारी अधिकार अर्जित करता है खातेदार आसामी होगा, और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहतें हुए इस अधिनियम द्वारा खातेदार आसामी को प्रदत्त समस्त अधिकारों का हकदार होगा तथा आरोपित समस्त दायित्वों के अधीन रहेगा।

उपरोक्त के क्रम में ,इस प्रकरण में वादीगण जागीरदारी एक्ट की धारा 9 एवं आर. टी. एक्ट की धारा 15 के तहत खातेदार कृषक होना साबित होता है तथा तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार वादीगण का लगातार कब्जा काश्त रहा है। तथा माफी रिज्यूम होने से वादी को किसी प्रकार का ऋण आदि का लाभ नही मिल पा रहा है जिससें वादी को समस्याओं का सामना करना पड रहा है। अतः जमाबन्दी से माफी रिज्युमशन हटाया जाना न्यायाहित में आवश्यक है। वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम हनुवतखेडा तहसील छबडा के खाता संख्या 249 के खसरा नं. 38 रकबा 1.8843 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 46 रकबा 1.5176 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 3.4019 हैक्टेयर भूमि में वादीगण के नाम से माफियात रिज्यूमशन शब्द को हटाने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिए जाते है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हों

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर ए एस
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

संख्या 164/2024	धारा अन्तर्गत 88,89,91, आर0टी0 एक्ट	निर्णय दिनांक : 23/12/24
समक्ष : श्री रामसिंह गुर्जर, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां		
उपस्थिति : अभिभाषक वादी:—श्री कमलसिंह आसावत	अभिभाषक प्रतिवादी:—	

वाद शीर्षक

डनवान

1. हुकमचन्द आयु 68 वर्ष पुत्र किशनलाल जाति जाटव निवासी ग्राम महेशपुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. राधेश्याम आयु 50 वर्ष पुत्र शंकरलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम चांचोडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा जिला बारा (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि—

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम हनुवतखेडा तहसील छबडा के खाता संख्या 249 के खसरा नं. 38 रकबा 1.8843 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 46 रकबा 1.5176 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 3.4019 हैक्टेयर भूमि में वादीगण के नाम से माफियात रिज्यूमशन शब्द को हटाने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिए जाते है।

साथ ही निर्णयानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 23/12/24 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (%)		
10.	योग		